

19⁰⁶/25

पत्रावली पेश हुई। अंग्रेजी वादी अनुपस्थित।
वादी भी अनुपस्थित। तीन बार कंक-
निक कर आवाज लगाई गई, लेकिन
कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। अतः
प्रकरण को अन्तर्गत आदेशा 9 नियम
8 CPC अधिनियम अन्तर्गत आदेशा 9
में स्थापित किया जाता है। पत्रावली फंक्शन
न्यूनतर देकर न्यूनतर से कम देकर
बाद तामील तकमील दाखिल कर रहे



[Handwritten Signature]
19/6/25

उपखण्ड अधिकारी
पिंपरी, जिल्हा न्यायालय (तकमील)

